जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 A0790/ 2026 दिनांक: 18 नवम्बर, 2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबंधक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः Digishakti Portal पर नामांकित प्रत्येक छात्र/छात्राओं का महाविद्यालयों में कैंप लगा कर E-KYC की प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उ0प्र0 के पत्र संख्याः 667 / 77–1–2024, दिनांकः 27 अगस्त, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिजीशक्ति पोर्टल पर टैबलेट / स्मार्टफोन वितरण की डुप्लीकेसी को रोकने हेतु छात्र / छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) कराये जाने के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा वाट्सएप ग्रुप में समय–समय पर सूचित किया जाता रहा है, किन्तु महाविद्यालय स्तर से **कुल 42712** छात्र / छात्राओं के E-KYC की प्रक्रिया अपूर्ण है।

चूँकि छात्र / छात्राओं द्वारा E-KYC का कार्य अपने स्तर से किये जाने में कतिपय तकनीकी बाधाएँ उत्पन्न हो रही है, **तत्क्रम में समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित तिथियों में अपने–अपने महाविद्यालयों पर कैंप लगा कर महाविद्यालय से सम्बन्धित विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) की प्रक्रिया अनिवार्यरूपेण सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।** उक्त के क्रम में यदि छात्र / छात्राओं का आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) नहीं हो पाता है, तो वह शासन द्वारा लागू की गयी स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना से वंचित हो जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	E-KYC पूर्ण करने की अंतिम तिथि
01	स्नातक	30 नवम्बर, 2026
02	परास्नातक	25 नवम्बर, 2026

Chabilal

(डॉ0 छबिलाल)
नोडल अधिकारी, डिजीशक्ति पोर्टल

(एस0 एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. माननीय कुलपति जी।
02. मुख्य राजस्व अधिकारी, बलिया।
03. DIOS, NIC, बलिया।
04. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

संख्या- 667/77-1-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2024**

विषय:- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण से पूर्व डिजीशक्ति पोर्टल पर पात्र प्रत्येक लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 975/77-1-2022-156/2021, दिनांक 18.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु व्यापक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त योजनान्तर्गत यूपीडेस्को को नोडल संस्था नामित किया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विकसित डिजीशक्ति पोर्टल (https://digishaktiup.in/app) के माध्यम से लाभार्थियों के मध्य टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही करायी जाती है। साथ ही योजनान्तर्गत लाभार्थियों, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विभागों आदि स्टेकहोल्डर्स के मध्य वांछित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये डिजीशक्ति वेबसाइट (https://digishakti.up.gov.in) भी क्रियाशील है।

2- अवगत कराना है कि टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही हेतु डिजीशक्ति पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया एवं शिड्यूल के अनुसार लाभार्थियों के डाटा को उनके सम्बन्धित संस्थान द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर वेरीफाई किया जाता है। तत्पश्चात सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा डाटा अप्रूव किया जाता है तथा अप्रूव किये गये डाटा को सम्बन्धित विभाग द्वारा लॉक किया जाता है। उक्त प्रक्रिया से लॉकिंग उपरान्त ही लाभार्थी डिजीशक्ति पोर्टल पर टैबलेट/स्मार्टफोन पाने के लिये पात्र होते हैं। पात्र लाभार्थियों के मध्य टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण की डुप्लीकेसी को रोकने हेतु उनका आधार प्रमाणीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थियों हेतु आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू करने के लिये डिजीशक्ति वेबसाइट/पोर्टल पर वांछित व्यवस्था सृजित कर दी गयी है।

3- उक्त व्यवस्थान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हेतु डिजीशक्ति वेबसाईट के होम पेज पर लिंक उपलब्ध होगा। टैबलेट/स्मार्टफोन प्राप्त किये जाने के पूर्व पात्र लाभार्थी द्वारा अपने आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही निम्नवलिखित प्रक्रियानुसार पूर्ण की जानी होगी जिसका विस्तृत विवरण/यूज़र मैनुअल Annexure-1 पर उपलब्ध है:-

(1) लाभार्थी द्वारा डिजीशक्ति वेबसाईट (https://digishakti.up.gov.in) पर उपलब्ध "e-KYC through Meri Pahchan Portal" लिंक क्लिक किया जाना होगा।

(2) तदुपरान्त लाभार्थी द्वारा "Search Student Details" पेज पर अपना वांछित विवरण यथा विश्वविद्यालय एवं संस्थान का नाम तथा एन्रोलमेन्ट नम्बर भरकर अपना नाम सर्च किया जाना होगा।

(3) लाभार्थी का विवरण सर्च हो जाने की दशा में e-Pramaan Meri Pahchan Portal के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा निम्नवत आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा:-

(i) लाभार्थी द्वारा e-Pramaan Meri Pahchan Portal पर स्वयं को पंजीकृत कर e-KYC सम्पन्न किया जाना होगा।

(ii) लाभार्थी द्वारा अपने आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त करते हुये आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा।

(4) उपरोक्तानुसार पात्र लाभार्थी का डिजीशक्ति पोर्टल पर Name, Gender एवं Date of Birth सम्बन्धी विवरण, उक्त लाभार्थी के आधार पर उपलब्ध इन विवरणों के समान होने की स्थिति में वेबसाईट के "Search Student Details" पेज पर Aadhaar e-KYC Status-Verified प्रदर्शित होगा।

(5) उक्त विवरण के समान नहीं होने की स्थिति में वेबसाईट पर Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होगा।

4- Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होने की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा उपयुक्तता के आधार पर डिजीशक्ति पोर्टल पर अथवा अपने आधार कार्ड के विवरण में आवश्यकतानुसार संशोधन कराया जाना होगा। विवरण संशोधित होने के पश्चात उपरोक्त बिन्दु-5 की प्रक्रियानुसार पात्र लाभार्थी द्वारा पुनः आधार प्रमाणीकरण हेतु कार्यवाही की जानी होगी।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से योजना से सम्बन्धित जनपद के समस्त संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक : यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संस्कृति विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सागर)

प्रमुख सचिव।

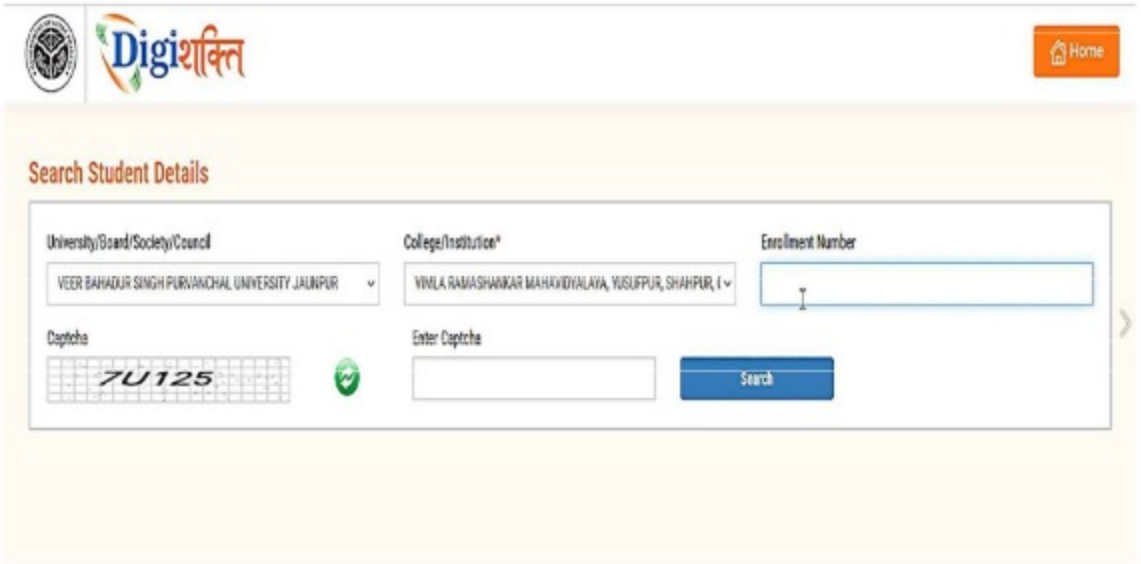
Annexure-1

User Manual for Aadhaar Authentication

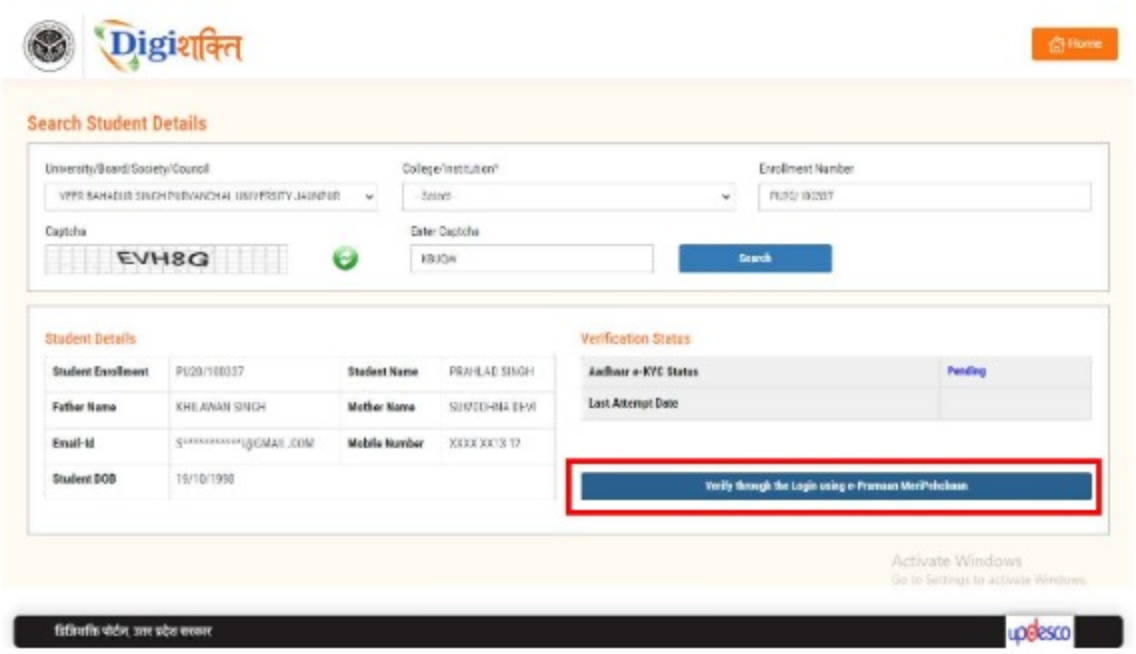
Step 1 - Student need to visit to Digishakti website (URL- https://digishakti.up.gov.in) and click on the **e-KYC through MeriPehchaan Portal** button.



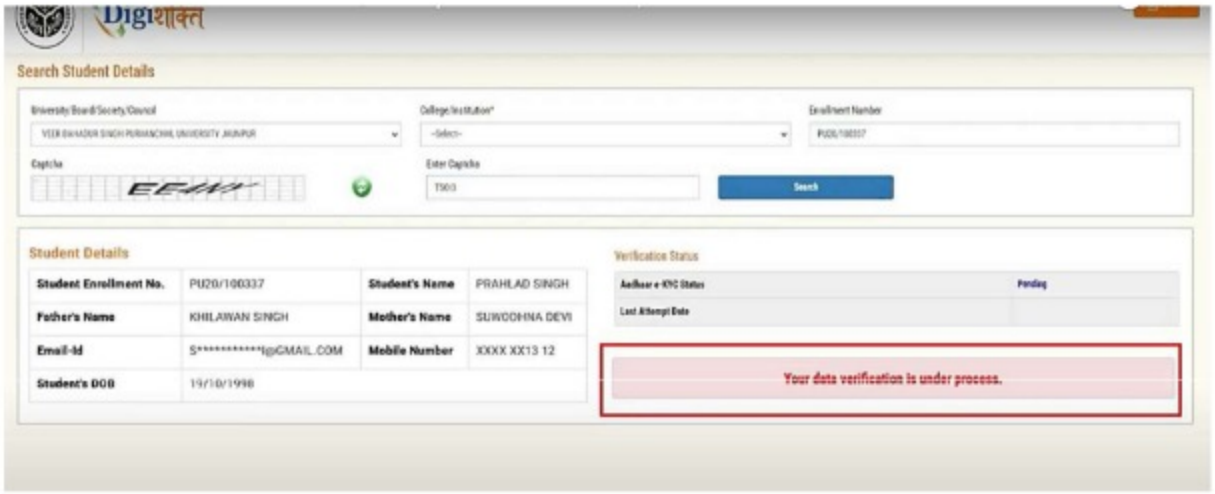
Step 2 - Select/fill following fields available on the screen and click on **"Search"** button.



Step 3 - Details of student from the Digishakti Portal will be fetched and appear on the screen. If the Aadhaar e-KYC Status is Pending, click on **"Verify through the Login Using e-Pramaan MeriPehchaan"** button.

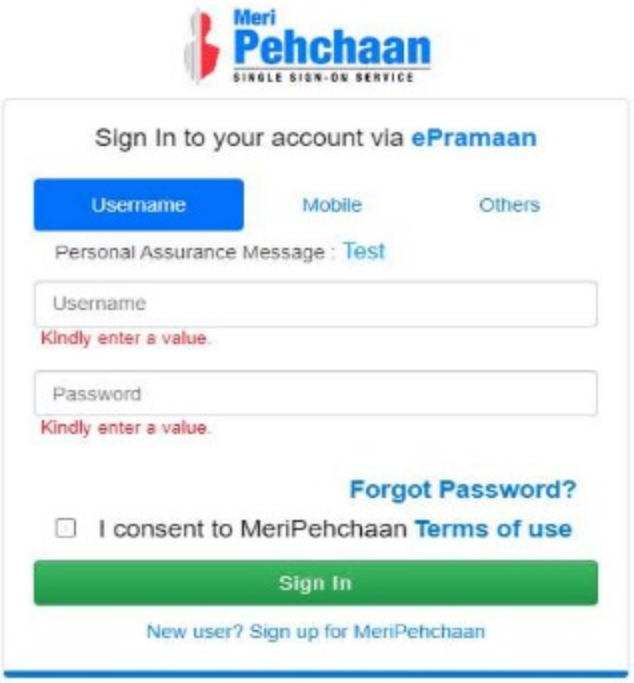


Note:- If the student Data is on portal but pending for Department Lock then the below given screen with alert message 'Your data verification is Under Process' will be visible.

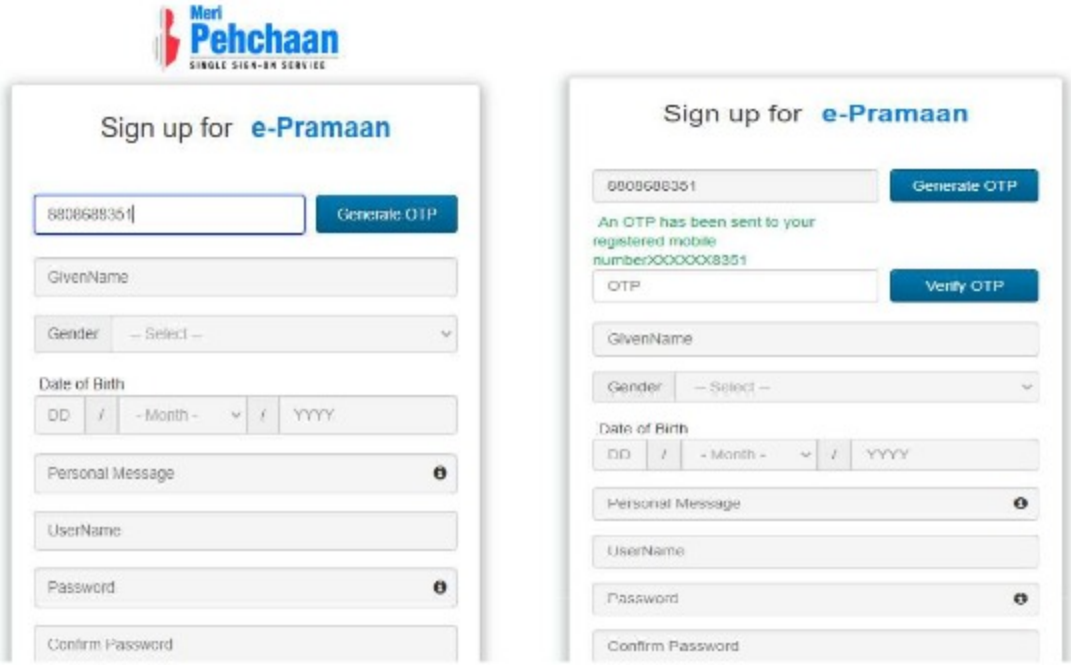


Step 4 - Student will be redirected to MeriPehchaan for Sign-In/Sign-Up.

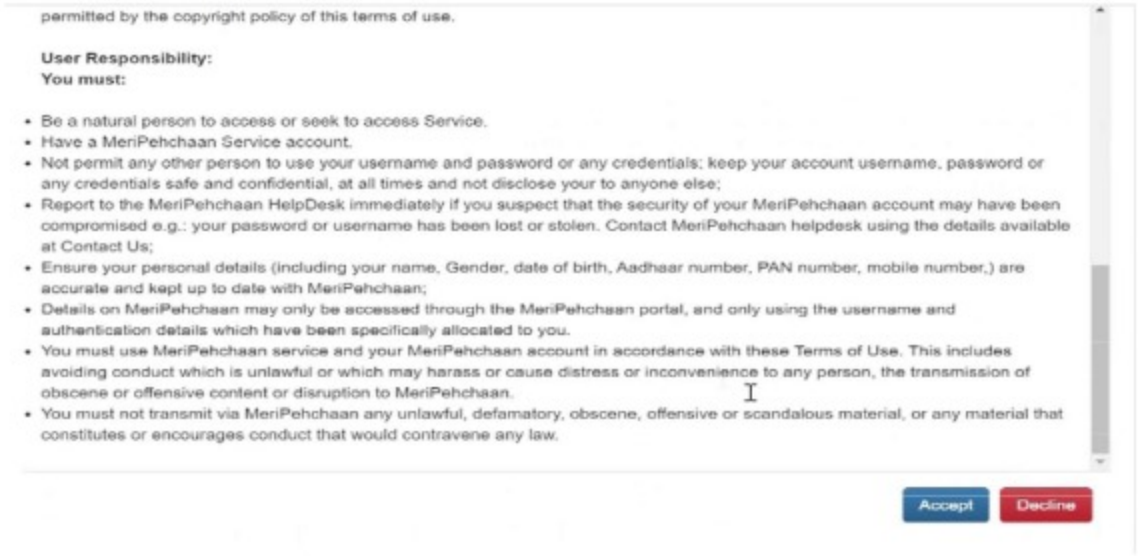
- If a student already has an account with "MeriPehchaan", he/she can **Sign-In** through his/her Log-In credentials.
- In case of new user, student need to click on **"New user? Signup for MeriPehchaan".**



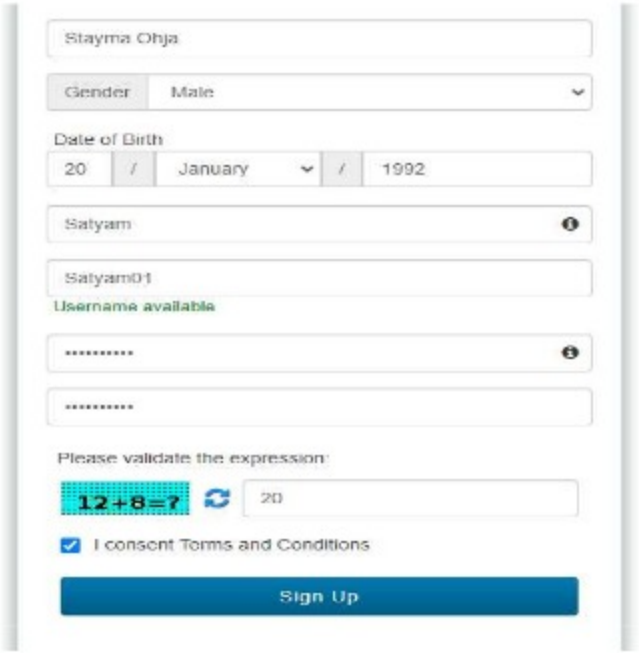
Step 5 - In case of new user, Student need to enter Mobile Number, click on Generate OTP and then Verify through OTP.



Step 6 - Accept the terms & conditions and click on sign-up button as shown in the next step.



Step 7 - After filling the details and accepting the terms and conditions, Student need to click on **"Sign-UP"** button



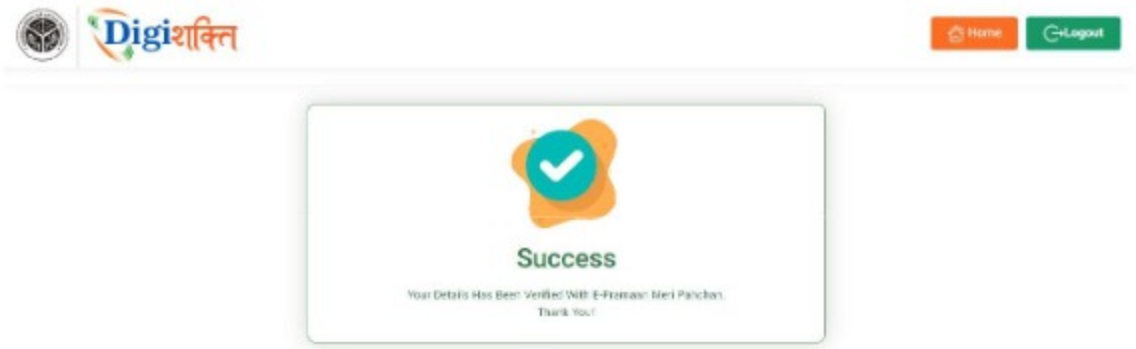
Step 8 - Aadhaar e-KYC page will appear. Student will enter Aadhaar number and Choose OTP medium as mobile or email and click on **"verify through e-KYC"** button.



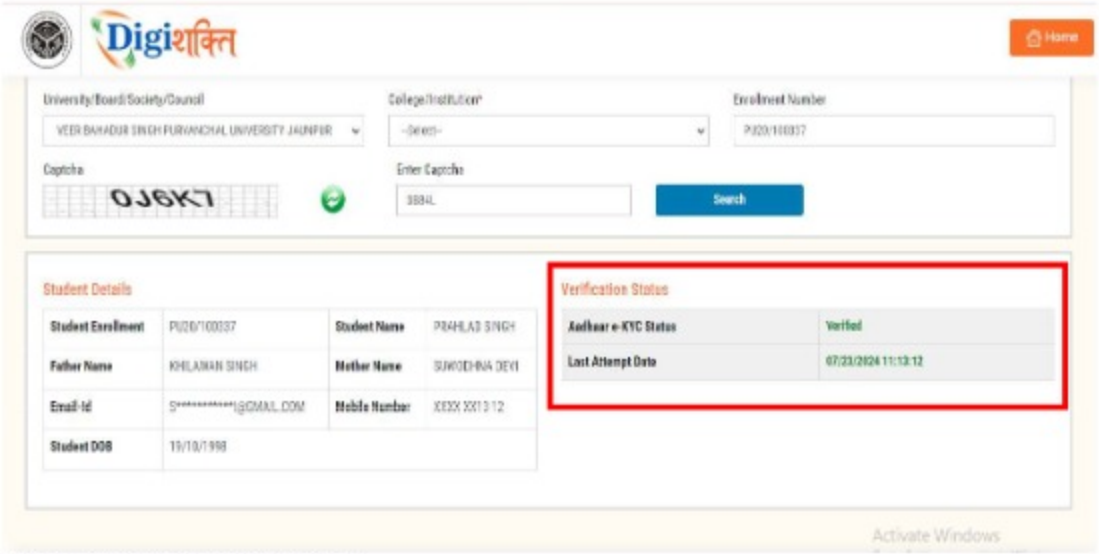
Step 9 - An OTP will be sent on Registered Mobile Number or Email id. Enter the OTP and click on **"Verify"** button.



Step 10- A Success Message will appear if details are verified Successfully.



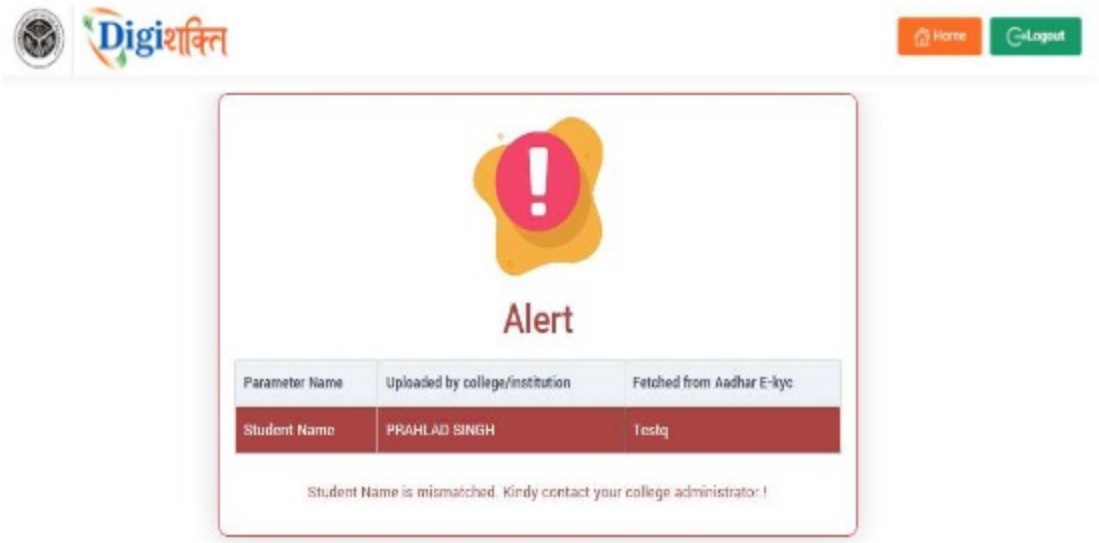
Step 11- After Successful verification, the Verification Status on **"Search Student Details"** page will change to **"Verified"** and "Verify through the Login Using e-Pramaan MeriPehchaan" button will disappear.



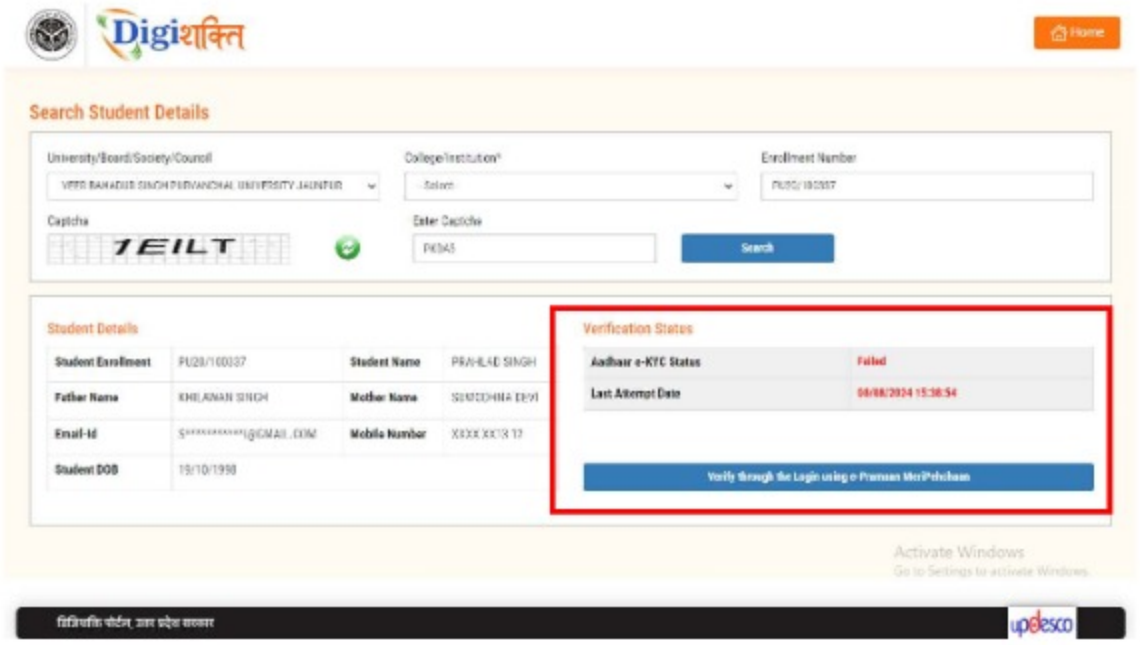
In case of "Verified" Status-

- The student's data will be visible at Institute level for forwarding the data to District nodal officer level to get the device.
- In case the data is already forwarded to District then data will be visible to District nodal officer level for selection.

Step 12- In case the details **(Name, Gender & Date of Birth)** of student on the Digishakti Portal uploaded by their respective Institute do not match with the details available on his/her Aadhaar then an alert message with mismatched details will appear.



Step 13- If the Verification Status on Digishakti Website Link shows as **"Failed"**, Student need to contact his/her Institution Nodal Officer to edit the mismatched details on the Digishakti portal or make necessary amendments in the details of his/her Aadhaar card.



In case of "Failed" Status-

- The student needs to contact his/her Institution Nodal Officer to edit the mismatched details on the Digishakti portal or make necessary amendments in the details of his/her Aadhaar card.
- After corrections, the student's data undergoes the complete authentication process (verification by institution, approval by University, and locking by Department).
- Following this, the data becomes available again for Aadhaar verification by the student.

For New ePramaan MeriPehchaan Users

1. Go to the DigiShakti website.
2. Enter your University/Board/Society/Council, College/Institution, enrollment number, captcha, and click "Search."
3. Click on "Verify through the Login using e-Pramaan MeriPehchaan."
4. On the e-Pramaan MeriPehchaan website, select "New user? Sign up for MeriPehchaan."
5. Enter a mobile number and verify it (validate any mobile number belonging to the user, even if it is not linked to Aadhaar). Complete the registration form (make sure to enter the given name, date of birth, gender, etc., exactly as they appear on the Aadhaar card) and submit the form.
6. Enter your Aadhaar number and choose the OTP medium. The OTP will be sent to the Aadhaar-verified mobile number or email, depending on the selected option. After receiving the OTP, verify it and submit the form.
7. Once KYC is successfully completed, the e-Pramaan MeriPehchaan website will redirect you back to the DigiShakti website.

For Existing ePramaan MeriPehchaan Users

1. Go to the DigiShakti website.
2. Enter your University/Board/Society/Council, College/Institution, enrollment number, captcha, and click "Search."
3. Click on "Verify through the Login using e-Pramaan MeriPehchaan."
4. Log in with your username and password, then submit the form.
   - *Case 1:* If KYC is not done for the account, e-Pramaan will prompt you to complete Aadhaar KYC.
   - *Case 2:* If Aadhaar KYC is already done, e-Pramaan will not ask for it again, and you can submit the form.
5. Afterward, the e-Pramaan MeriPehchaan website will redirect you back to the DigiShakti website.

Notes:

1. Sometimes users visit e-Pramaan separately, complete Aadhaar KYC, and notice their profile is only partially completed. Keep in mind that for DigiShakti, Only Aadhaar KYC is mandatory, regardless of the profile completion percentage. DigiShakti requires only Aadhaar KYC to be fully completed.
2. e-Pramaan MeriPehchaan allows only one Aadhaar KYC per account. If you've already completed KYC on one account, you cannot redo it on another e-Pramaan account. If you've forgotten your credentials, click on "Forgot Password" on e-Pramaan and reset them using your username, mobile number, or Aadhaar number.
3. If a user has mistakenly provided incorrect given name/gender/date of birth on e-Pramaan, go to "https://epramaan.meripehchaan.gov.in," sign in with your username and password, click on "Manage Profile," then "Edit Profile," correct the details, and update the profile before completing KYC again.

गैर-ईप्रामाण मेरी पहचान उपयोगकर्ताओं के लिए

1. DigiShakti वेबसाइट पर जाएँ।
2. अपने विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/काउंसिल, कॉलेज/संस्थान, नामांकन संख्या, कैप्चा दर्ज करें और "सर्च" पर क्लिक करें।
3. "Verify through the Login using e-Pramaan MeriPehchaan" पर क्लिक करें।
1. ई-प्रामाण मेरीपहचान वेबसाइट पर, "New user? Sign up for MeriPehchaan." का चयन करें।
4. मोबाइल नंबर दर्ज करें और उसे सत्यापित करें (किसी भी मोबाइल नंबर को दर्ज किया जा सकता है, भले ही वह आधार से लिंक न हो)। पंजीकरण फॉर्म भरें (कृपया दिए गए नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि को आधार कार्ड पर जैसे दिखते हैं, वैसे ही भरें) और फॉर्म सबमिट करें।
5. अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP माध्यम चुनें। OTP आधार-सत्यापित मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाएगा, इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा विकल्प चुना है। OTP प्राप्त करने के बाद, उसे सत्यापित करें और फॉर्म सबमिट करें।
6. एक बार KYC सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, ई-प्रामाण मेरीपहचान वेबसाइट आपको फिर से DigiShakti वेबसाइट पर वापस redirect कर देगी।

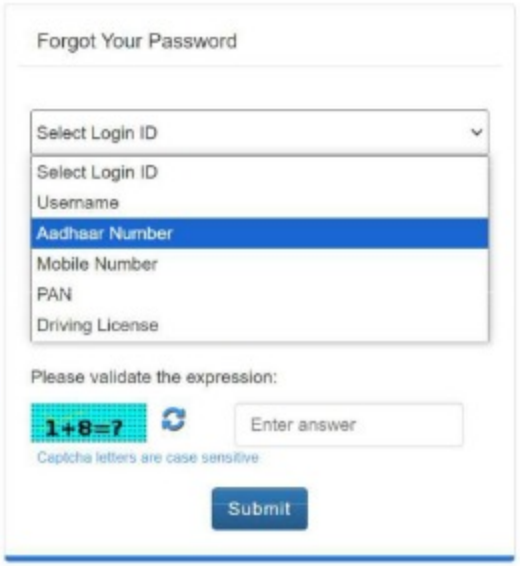
मौजूदा ईप्रामाण मेरी पहचान उपयोगकर्ताओं के लिए

1. DigiShakti वेबसाइट पर जाएँ।
2. अपने विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/काउंसिल, कॉलेज/संस्थान, नामांकन संख्या, कैप्चा दर्ज करें और "search" पर क्लिक करें।
3. "Verify through the Login using e-Pramaan MeriPehchaan" पर क्लिक करें।
4. अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर फॉर्म सबमिट करें।
   - संभावना 1: यदि उस खाते के लिए KYC पूरा नहीं हुआ है, तो ई-प्रामाण आपको आधार KYC पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा।
   - संभावना 2: यदि आधार KYC पहले से ही पूरा हो चुका है, तो ई-प्रामाण इसे फिर से नहीं पूछेगा, और आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
5. इसके बाद, ई-प्रामाण मेरीपहचान वेबसाइट आपको फिर से DigiShakti वेबसाइट पर वापस redirect कर देगी।

नोट्स:

1. कभी-कभी उपयोगकर्ता अलग से ई-प्रामाण पर जाकर आधार KYC पूरा करते हैं और नोटिस करते हैं कि उनका प्रोफाइल केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है। ध्यान रखें कि DigiShakti के लिए बस आधार KYC अनिवार्य है, चाहे प्रोफाइल पूरा होने की प्रतिशतता कुछ भी हो। DigiShakti के लिए बस आधार KYC पूरी तरह से पूरा होना आवश्यक है।
2. ई-प्रमाण मेरीपहचान एक खाते पर केवल एक आधार KYC की अनुमति देता है। यदि आपने एक खाते पर पहले ही KYC पूरा कर लिया है, तो आप इसे दूसरे ई-प्रमाण खाते पर दोबारा नहीं कर सकते। यदि आपने अपने क्रेडेंशियल्स भूल गए हैं, तो ई-प्रमाण पर "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और अपने उपयोगकर्ता नाम, मोबाइल नंबर, या आधार नंबर का उपयोग करके इसे रीसेट करें।
3. यदि उपयोगकर्ता ने ई-प्रामाण पर गलत दिए गए नाम/लिंग/जन्म तिथि दी है, तो "https://epramaan.meripehchaan.gov.in" पर जाएँ, अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से साइन इन करें, "Manage Profile," के अन्तर्गत "Edit Profile," पर क्लिक करें, सही विवरण दें और प्रोफाइल अपडेट करें, फिर KYC के लिए जाएँ।


Meri Pehchaan
SINGLE SIGN-ON SERVICE
DigiLocker
Sign In to your account via ePramaan
Username
Mobile
Aadhaar/PAN/..
Username
Password
Forgot Password?
I consent to MeriPehchaan Terms of use
Sign In
OR
To reset the password click here



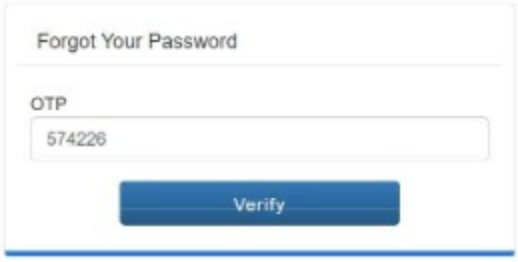
Select an option

For example, if the user do not remember their username and password and their KYC has already been completed, they can use their Aadhaar number.



Enter details and submit

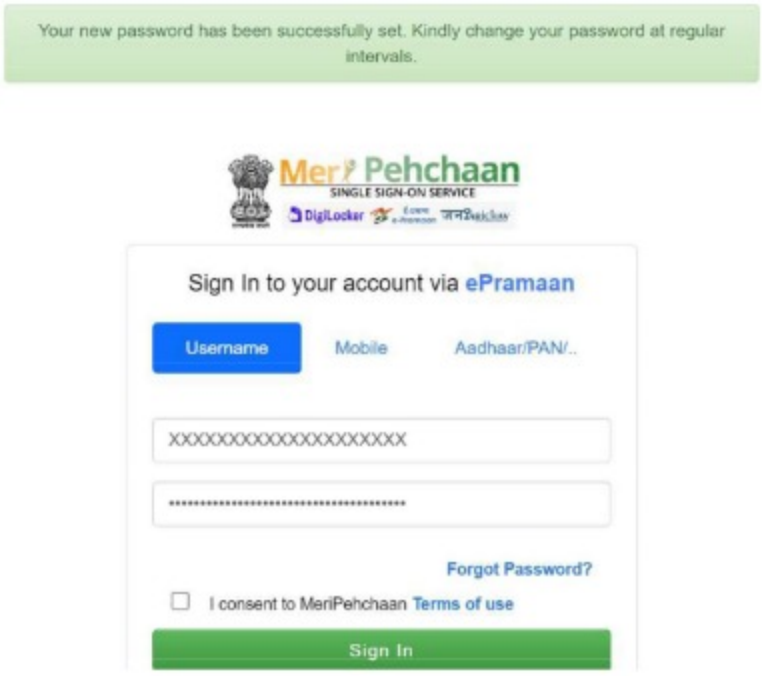
Forgot Your Password

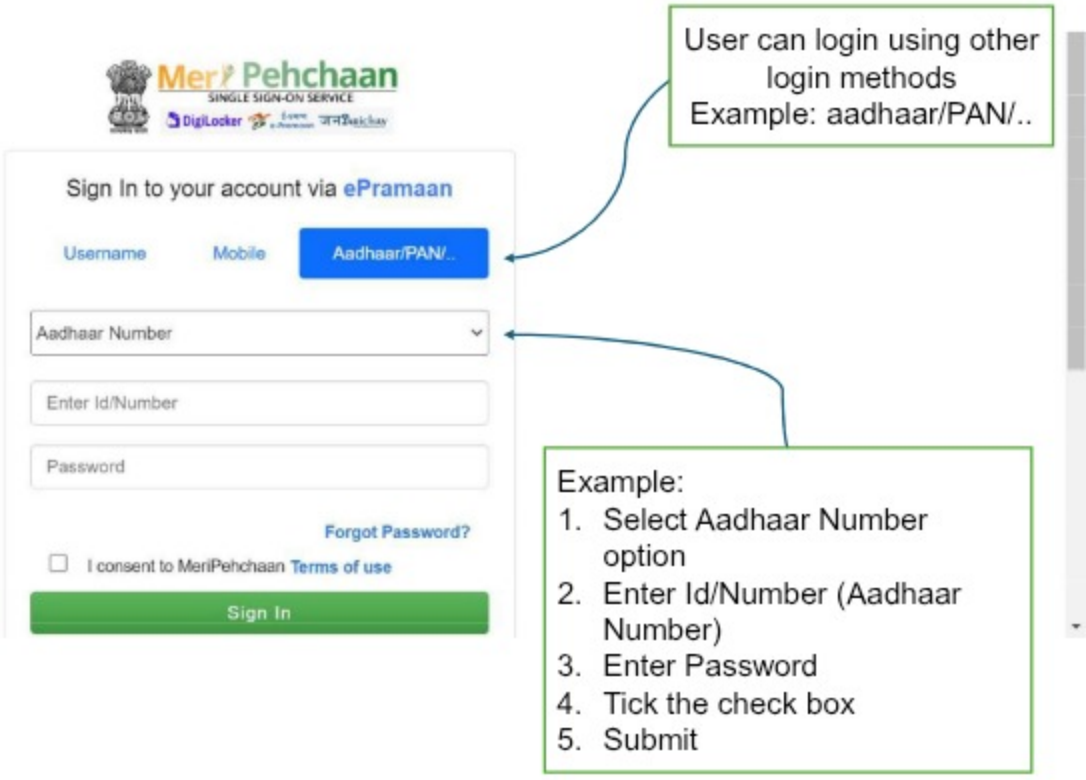


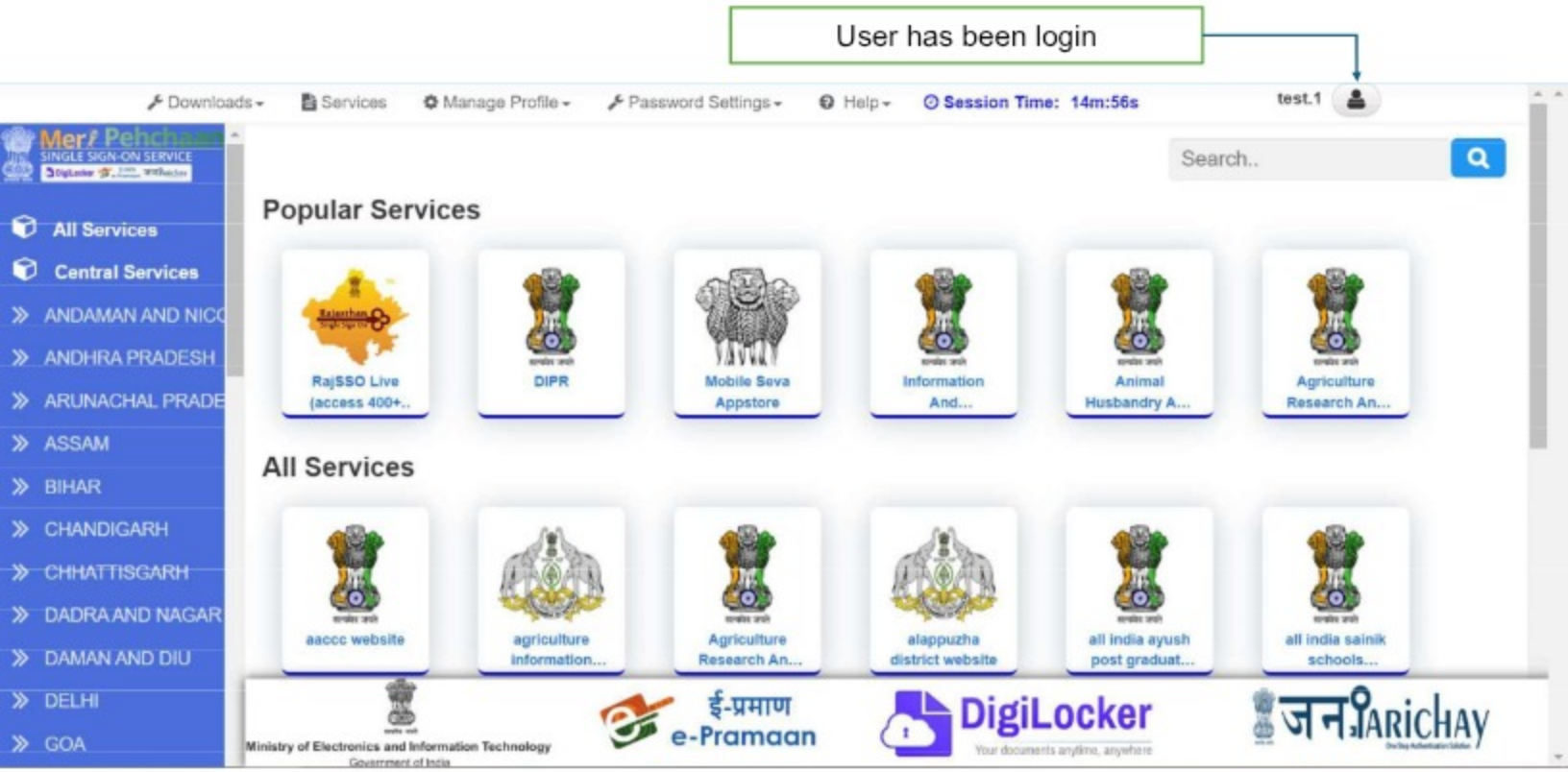
Enter OTP and verify



Rest your password and submit


Your new password has been successfully set. Kindly change your password at regular intervals.
Meri Pehchaan
SINGLE SIGN-ON SERVICE
DigiLocker
Sign In to your account via ePramaan
Username
Mobile
Aadhaar/PAN/..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Forgot Password?
I consent to MeriPehchaan Terms of use
Sign In


Meri Pehchaan
SINGLE SIGN-ON SERVICE
DigiLocker
Sign In to your account via ePramaan
Username
Mobile
Aadhaar/PAN/..
Aadhaar Number
Enter Id/Number
Password
Forgot Password?
I consent to MeriPehchaan Terms of use
Sign In
User can login using other login methods
Example: aadhaar/PAN/..
Example:
1. Select Aadhaar Number option
2. Enter Id/Number (Aadhaar Number)
3. Enter Password
4. Tick the check box
5. Submit


User has been login
Downloads
Services
Manage Profile
Password Settings
Help
Session Time: 14m:56s
test.1
Search..
Popular Services
All Services
Central Services
ANDAMAN AND NICO
ANDHRA PRADESH
ARUNACHAL PRADE
ASSAM
BIHAR
CHANDIGARH
CHHATTISGARH
DADRA AND NAGAR
DAMAN AND DIU
DELHI
GOA
RajSSO Live (access 400+..
DIPR
Mobile Seva Appstore
Information And...
Animal Husbandry A...
Agriculture Research An...
All Services
aaccc website
agriculture information...
Agriculture Research An...
alappuzha district website
all india ayush post graduat...
all india sainik schools...
Ministry of Electronics and Information Technology
Government of India
ई-प्रमाण
e-Pramaan
DigiLocker
Your documents anytime, anywhere
जन परिचय

संख्याः-680/77-1-2024(1720557)

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ.प्र. शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक22-08-2024

विषयः- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/24-25/1825 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में कई जनपदों के प्रतिनिधियों एवं संस्थानों के नोडल अधिकारियों द्वारा स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

2- अवगत कराना है कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत निःशुल्क टेबलेट/स्मार्टफोन वितरण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 975/77-1-2022-156 / 2021 दिनांक 18.07.2022 के बिन्दु संख्या-3-'लाभार्थियों का चयन के प्रस्तर-3 में निम्नवत प्राविधानित है:-

''सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विचाराधीन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले युवाओं को राज्य सरकार की अन्य किसी योजना (स्कूली शिक्षा को छोड़कर) के अन्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त न हुये हों। संकलित किये जाने वाले समस्त डाटा को पोर्टल पर अपलोड किये जाने, पुष्टिकृत किये जाने एवं उसकी शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित विभाग / विभागाध्यक्ष तथा सम्बन्धित संस्था प्रमुख का होगा।''

3- उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2022 में दिये गये उपरोक्त प्राविधान के अनुसार स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत भी किसी छात्र / छात्रा को किसी एक कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी अन्य कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट का पुनः वितरण नहीं किया जाना है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से योजना से सम्बन्धित जनपद के समस्त संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त प्राविधान से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Anil Kumar Sagar
Date: 22-08-2024 19:50:36

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संस्कृति विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, केन्द्रीय

तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव